[1][धारा 14क कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर अवथित व्यक्ति द्वारा पूर्ति किए गए विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के लिए विशेष उपबंध

(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित आनलाइन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित नहीं है, उसके द्वारा कराधेय राज्यक्षेत्र में व्यक्ति को आनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति के संबंध में ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए आनलाइन धनीय गेम खेलने वाला पूर्तिकार इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सरलीकृत रजिस्ट्रीकृत स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगाः

परंतु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण करेगा और ऐसे पूर्तिकार के निमित्त एकीकृत कर का संदाय करेगाः

परंतु यह और कि यदि ऐसे पूर्तिकार की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा।

(3) आनलाइन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार या ऐसे पूर्तिकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या दोनों के द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता की दशा में, सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 69क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पूर्तिकार द्वारा आनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति में उपयोग किए गए कंप्यूटर संसाधन पर किसी सृजित, पारेषित, प्राप्त या होस्ट की गई किसी जानकारी के लिए पब्लिक द्वारा पहुँच को बंद किए जाने के लिए उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति में दायी होगा।**]**

---

[1] एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 14क अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2023–एकीकृत कर, दिनांक 29.09.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।